राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 146/2015/अजमेर
2. अपील संख्या 147/2015/अजमेर

सहायक आयुक्त,
करापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राज ऑटो व्हील्स प्रा0 लि0, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.माहेश्वरी
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.09.2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 134 व 132/13–14/वैट/अजमेर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 03.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, करापवंचन, अजमेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी का कर निर्धारण वर्ष 2010–11 में दिनांक 10.12.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा जांच/सर्वेक्षण किया गया। जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा मोटर कार, स्पेयर पार्टस व एसेसरीज का व्यापार किया जाना पाया गया तथा फर्म प्रभारी द्वारा कम्प्यूटर पर संधारित फर्म के वर्ष 2010–11 का P&L A/c अकाउन्ट, लोजोस्टिक चार्जेज, मासिक समरी एवं लेजर, स्टॉक समरी को वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर मौजूद नये कारों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर फर्द तैयार की गई। इसी प्रकार कम्प्यूटर संधारित रिकार्ड में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में व्यवहारी ने विभिन्न कार क्रेताओं से लोजेस्टिक चार्जेज के रूप में वसूल की गई राशि पर वेट नहीं चुकाने एवं प्रस्तुत जवाब को अनुचित मानते हुए लोजेस्टिक चार्जेज के रूप में वसूली राशियों पर कर, शास्ति व ब्याज आरोपित किये। इन आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को आंशिक स्वीकार करके आरोपित शास्ति को अपास्त कर लोजेस्टिक चार्ज व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिनांक 30.09.2014 को पारित किये। उक्त आदेशों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यें दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बतलाया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.09.2014 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 24.06.2016 को पारित कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने के फलस्वरूप खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.09.2014 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 24.06.2016 को पारित कर दिया है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक **24.06.2016** की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **30.09.2014** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **24.06.2016.** को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। अतः विवादित अपीलीय आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें ''सारहीन'' हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8 । (राज.)
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

7. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576।** (राज.)
(ii) वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर. टी.जे.एस.79 ।** (आर.टी.टी.)

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत अपीलों को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् हमारे विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक **24.06.2016** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपीलें ''सारहीन'' हो गयी है।

10. परिणामतः दोनों अपीलें सारहीन हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है । निर्णय प्रसारित किया गया ।

22-9-2016

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष